बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 176429 पटना, दिनांक- 6-2-14

ग्रा0 वि05/सा0आ0जन0(निधि)-103-11/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
-सह-
मुख्य SECC पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के लंबित कार्यो को सम्पन्न कराने हेतु राशि की अधियाचना के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 171465 पटना, दिनांक-16.12.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लें । इस संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के अन्तर्गत विभिन्न मदों यथा मानदेय टी.ए./डी.ए., प्रशिक्षण, उपकरण, प्रशासनिक व्यय एवं प्रचार प्रसार हेतु विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई है ।

उक्त उपलब्ध कराई गई राशि के अतिरिक्त और राशि की अधियाचना का प्रस्ताव निम्नांकित बिन्दुओं के अनुपालनोपरान्त ही विभाग को उपलब्ध कराई जा सकती है :-

(i) SECC-11 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपलब्ध कराई गई राशि का व्यय नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार उसी मद में किया जाये ।

(ii) यदि किसी मद विशेष में व्ययोपरान्त राशि अवशेष बच जाती है, तब उक्त परिस्थिति में उस मद विशेष में राशि का व्यय नहीं हो पाने के विषय में जिला पदाधिकारी द्वारा आश्वस्त होकर ही कार्यहित में आंतरिक विचलन करके SECC-11 के दूसरे मद में आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार अवशेष राशि का उपयोग किया जा सकता है, साथ ही इस संबंध में विभाग को भी संसूचित किया जाये ।

(iii) उपरोक्त दोनों कंडिकाओं से भिन्न परिस्थिति वाले जिले कुल उपलब्ध कराये गये राशि से अवशेष राशि 10 (दस) प्रतिशत से कम होने पर ही विभाग को मदवार राशि की अधियाचना संबंधी प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाये ।

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन
06/2/14
(अनिल कुमार सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- 176429 दिनांक- 6-2-14

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

06/2/14
विशेष कार्य पदाधिकारी

(37)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 171465 पटना, दिनांक- 16-12-2013

ग्रा0 वि05/ सा0आ0जन0-(निधि)103-11 /2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना(SECC)-11 के लंबित कार्यो को सम्पन्न कराने हेतु अधियाचित राशि के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)-11 के अन्तर्गत विभिन्न मदो यथा: मानदेय टी.ए./डी.ए. प्रशिक्षण, उपकरण, प्रशासनिक व्यय एवं प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न पत्रों (प्रति संलग्न) द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई थी । उक्त उपलब्ध कराई गई राशि के विरूद्ध जिलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के समेकित विवरणी (प्रति संलग्न) के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुछ जिलों द्वारा मद विशेष में राशि अव्यवहृत रहने के बावजूद उस मद में राशि की मॉग की जा रही है जबकि कुछ जिलों में किसी मद विशेष में राशि का अभाव है किन्तु SECC के अन्य मदों में अवशेष राशि उपलब्ध है । उपरोक्त परिस्थिति में SECC के लंबित कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिए निम्नांकित कार्रवाई की जाय:-

(1) जिन मदों में राशि अव्यहृत पड़ी है, उन मदों की राशि का आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात ही राशि की अधियाचना विभाग से की जाय ।

(2) किसी मद विशेष में राशि का अभाव होने पर SECC के दूसरे मद में उपलब्ध राशि का जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यहित में आंतरिक विचलन कर आवश्यकता आधारित मदों में व्यय किया जा सकता है, बशर्ते कि जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी, उस मद में राशि व्यय की आवश्यकता न रह गई हो ।

(3) उपरोक्त दोनों कंडिकाओं से भिन्न परिस्थिति वाले जिले आवश्यकतानुसार मदवार राशि की मॉग विभाग से करें ।

अनुलग्नक यथोक्त:-

विश्वासभाजन
13.12.13
(अमृत लाल मीणा)
सचिव

ज्ञापांक- 171465 दिनांक- 16-12-2013

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13.12.13
सचिव

13/12/13